

एक प्रमाणपत्र
के हस्ताक्षर



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

राजस्व निगरानी क्रमांक

/2007

R 254-II/07

रगवर तनय रमू कुम्हार श्रौतश्रौ विधिक उत्तरा-
धिकारी, गिरजा प्रसाद कुम्हार, निवासी-ढौंगा
टीकमगढ़ तहसील व जिला-टीकमगढ़ म.प्र.

.. निगरा कार

बनाम

(1) रामभाऊ तनय कारीनाथ आश्री श्रौतश्रौ विधिक
उत्तराधिकारी विनोद कुमार तनय रामभाऊ आश्री
मुख्त्यारेआम मकुंदराव आश्री, निवासी बानपुर
दरवाजा, टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र.
(2) शासन म०प्र० (अवकाश). अनावेदक प्रति निगरा कार

9/2/07
क्रमांक RP 656
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 5-2-06 को प्राप्त
वकील आज कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुतिकूल निर्णय व आदेश विधान अधिनियम न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर

सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 260ए/19X02X03 में पारित आदेश

दिनांक 30-11-06 के विरुद्ध एवं मे व्यथित होने के कारण :-

निगरानी अर्तगत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

प्रार्थी/निगरा कार की निगरानी सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है :-

श्रौ यह कि प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है- कि निगरा कार के पिता रगवर
कुम्हार तनय रमू कुम्हार एवं रामभाऊ तनय कारीनाथ आश्री श्रौ (ब्राम्हण) ने भूमि खसरा
नं. 22 24 एवं 56 रकबा 11.51 एकड़ लगानी 10/- रुपये दो आने स्थित
0.47 3.93 7.11
ग्राम महाराजपुरा की भूमि प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत
किया था जिसके परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक अ-12/19/72
मनु 1961 दिनांक 30-12-61 के अनुसार आवेदकों को भूमि स्वामी व हक बराबर

3

R 254-II/07

जिजा येकभगर

४०८

04.2.19 - प्रकरण प्रस्तुत आवेदक की
ओर से कोई नहीं। आवेदक अभि.
श्री S.K. कुमारवर्मा दिनांक 3/11/18
के बीद से -अमानत में उपस्थित नहीं।

- का -अमानत के शीत अनुकरण
उनकी मृत्यु हो चुकी है। ^{मृत्यु के} 2 1/2 वर्ष
बीद में प्रकरण में आवेदक की
अनुपस्थिति से विदित होता है कि
वह प्रकरण चलाने में सचि नहीं रहता।
है। अतः प्रकरण अ. अं. अं. पेशकी
में ~~इसी~~ ^{इसी} ~~Stayer~~ ^{Stayer} पर समीक्षा किया
जाती है 04/2/19

3